

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी :-

जीतू कुलहरी, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.-136/2014

निर्णय दिनांक : 18-01-2021

उमराव सिंह बनाम अमीलाल आदि

दावा बाबत खाता विभाजन एवं रिकॉर्ड दुरुस्ती

वादी की ओर से श्री विजयपाल एडवोकेट की व प्रतिवादीसं. 1से 12 की ओर से कुलदीपसिंह की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 18-1-21 को जीतू कुलहरी उपखण्ड अधिकारी, बुहाना के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

" न्यायालय वाद वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 लगायत 12 खाता व लगान विभाजन किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम लाम्बी अहीर स्थित भूमि हाल ख0 न0 7 रकबा 0.80 है0, ख0 न0 8 रकबा 7.20 है0, ख0 न0 16 रकबा 1.62 है0, ख0 न0 226 रकबा 1.14 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 4.28 है0 एवं वाके ग्राम कानसिंह पुरा स्थित ख0 न0 139 रकबा 0.71 है0, ख0 न0 140 रकबा 0.11 है0, ख0 न0 141 रकबा 0.91 है0, ख0 न0 142 रकबा 0.94 है0, ख0 न0 144 रकबा 1.58 है0, ख0 न0 145 रकबा 1.23 है0, ख0 न0 147 रकबा 1.91 है0, ख0 न0 150 रकबा 0.29 है0, ख0 न0 151 रकबा 0.90 है0, ख0 न0 152 रकबा 0.06 है0, ख0 न0 154 रकबा 0.15 है0, ख0 न0 155 रकबा 1.09 है0 कुल किता 12 कुल रकबा 9.88 है0 भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ" व नक्शा प्रदर्श "ब-1 लगायत ब-2" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव "प्रदर्श अ" व नक्शा प्रदर्श "ब-1 लगायत ब-2" के अलग-अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग-अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ" व नक्शा प्रदर्श "ब-1 लगायत ब-2" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काशतकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के विरुद्ध दर्ज किया जावे।"

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 18-1-21 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(जीतू कुलहरी)

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक जिला मजिस्ट्रेट, बुहाना

